न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00019Jodhpur225RTA2018-14 Jhumarlal etc Vs Sukharam etc

---

01. झुमरलाल पुत्र रामुराम जाति दर्जी, निवासी- ग्राम झंवर, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
02. गणपतराम पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण, निवासी- झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

..... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. सुखाराम पुत्र श्री करणाराम, जाति पटेल, निवासी- बड़ला नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. स्व. गंगा पत्नी गोमाराम के कायम मुकाम: -
   - 2.1. सोनाराम पुत्र गोमाराम
   - 2.2. थानाराम पुत्र गोमाराम
   - 2.3. भींयाराम पुत्र गोमाराम
   - 2.4. शिवाराम पुत्र गोमाराम
   - 2.5. डूंगरराम पुत्र गोमाराम जाति जाट, निवासीगण- बड़ला नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जोधपुर

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर लूणी दिनांक 15 जुलाई 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 268/2017 झूमरलाल व अन्य बनाम सरकार

------- 0 ------

उपस्थित --

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कानाराम गोदाराम, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2/2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 3

नि र्ण य

दिनांक : 05 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश संख्या 268/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 02 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। जिसके आधार पर अपील अनुमति एवं मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गयी।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण झुमरलाल पुत्र रामुराम वगैरह, भागीरथ पुत्र रावतराम वगैरह, गंगा पत्नि गोमाराम वगैरह, सुखाराम पुत्र करनाराम वगैरह के रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हळका झंवर व भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर, उपतहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी कैम्प कोर्ट लूणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम झंवर में स्थित निम्नलिखित आराजियात में से उनके खसरा नम्बर के आगे अंकित रकबा गैर मुमकिन रास्ते हेतु सहमति से छोडा गया रकबा मानते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमल-दरामद किये जाने तथा राजस्व नक्शे में मूल खसरान की भूमि में से कम करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तरमीम की जाकर तदनुसार अभिलेख संधारित किये जाने का आदेश पारित किया--

क्र. सं.	गांव का नाम	दर्ज खातेदार का नाम मय पिता का नाम	खसरा संख्या	रकबा जो गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होगा
1	बड़लानगर	झूमरलाल पुत्र रामूराम	1127	0.09.12
2	बड़लानगर	भागीरथ पुत्र रावतराम	1123	0.09.00
3	बड़लानगर	गंगा पत्नि गोमाराम	1117	0.08.06
4	बड़लानगर	सुखाराम पुत्र करनाराम	1118	0.01.18

उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ड्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांद्स की कृषि भूमि खसरा नं. 1127 एवं 1123 में दिनांक 15.07.2017 को गैर मुमकिन रास्ते हेतु 09 बिस्वा 12 बिस्वांशी तथा 09 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने का आदेश अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कर भारी भूल की है, जबकि अपीलांद्स द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विधिवत पेश ही नहीं किया गया जो अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 1127 एवं 1123 के खातेदारों द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई एवं न ही उनको कोई नोटिस दिया गया तथा न ही बुलाया गया। तमाम कार्यवाही बाला-बाला करते हुए फैसला कर दिया गया जो सरासर नाईंसाफ ? है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 1117 एवं 1118 के खातेदारान के आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तथा उनके परिवारजनों की भूमियां सड़क के चिपते हुए स्थित है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के मनमाना आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश में गंगा का नाम लिखा गया है, जबकि वह कॉफी समय पहले ही फौत हो चुकी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत किसी भी खातेदार काश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ड्स उक्त खसरान नम्बरान के रिकार्डेड खातेदारान है, किन्तु उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी और सुनवाई का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता चालू माना गया है, जिसका कोई आधार अथवा मौके की वास्तविक एवं विस्तृत रिपोर्ट संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हळका पटवारी से तलब की जाकर अभिलेख पर नहीं ली गयी है।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकारान बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पायी। । अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2/2 ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नही किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मियाद-प्रार्थनापत्र अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट्स मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने के काबिल है। अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है, अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि अपीलाण्ट्स द्वारा धारा 251-ए के तहत विधिवत रूप सें कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। वे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं थे, इस कारण उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आम रास्ते हेतु उपयोग करने बाबत **सहमति दिये जाने संबंधित कोई सहमति पत्र अथवा रास्ता प्रदत्त किये जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध ही नहीं है।** यही नहीं, अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता हेतु प्रयुक्त विभिन्न खसरा नम्बरान व उनके खातेदारान की जो तालिका उक्त आदेश में अंकित की गयी है, उसमें **वर्णित खसरा नम्बरान के रिकार्डेड सभी खातेदारान को अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पहले पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है** इस प्रकार प्रार्थीगण झुमरलाल पुत्र रामुराम वगैरह, भागीरथ पुत्र रावतराम वगैरह, गंगा पत्नि गोमाराम वगैरह, सुखाराम पुत्र करनाराम वगैरह जिनकी भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की गई है, **उनकी उपस्थिति या सहमति रिकार्ड पर नहीं है।** इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिसम्मतः नहीं होने से यथावत रखे जाने लायक नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश धारा 251-क की परिधि में नहीं आने के कारण अपीलाधीन आदेश संख्या 268/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर